<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 2315/2014

संस्थापन दिनांक 29.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—रामनारायण पुत्र झेंपे जाटव उम्र 50 वर्ष निवासी कठवा हाल माता पुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

2—देवेन्द्र जाटव पुत्र रामनारायण जाटव उम्र 19 वर्ष निवासीगण कठवा हाल माता पुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 451, भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.11.4 को 12 बजे फरियादी महावीर अ०सा०1 के घर कठवा गुर्जर की हार पर महावीर अ०सा०1 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.11.14 को 12 बजे जब फरियादी महावीर अ0सा01 अपने हार में झोंपड़ी में अंदर सो रहा था इतने में आरोपी रामनारायण पुत्र झेंपे तथा देवेन्द्र पुत्र रामनारायण जाटव अंदर झोंपड़ी में आ गये तथा रामनारायण ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की जिससे उसके मूंदी चोट आई तथा देवेन्द्र ने उसे पीठ में बांयी तरफ दांतों से काट लिया तथा दोनों ने झोपड़ी के अंदर पटककर उसकी मारपीट की जिससे उसके कोहनी एवं पीठ में मूंदी चोट आई।

आरोपीगण खेत को लेकर उससे झगडा कर रहे थे यह खेत उसने रामअख्त्यार से बटाई पर लिया था। तत्पश्चात फरियादी महावीर अ०सा०1 ने थाना गोहद में आवेदन प्र0पी–1 दिया जिस पर से थाना गोहद ने अप०क० 392/14 पर प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

📈 प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.11.4 को 12 बजे फरियादी महावीर के घर कठवा गुर्जर की हार पर महावीर अ0सा01 की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

फरियादी महावीर अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व ज्वार की 5. फसल पर से आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। उसने फसल बोई थी परन्तु आरोपीगण कह रहे थे कि फसल उनकी है वह थाने पर शिकायत करने के लिए गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 18.11.14 को 12:00 बजे आरोपीगण ने उसकी झोपड़ी में घुसकर मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि देवेन्द्र ने उसे पीठ में बांयी तरफ दांतों से काट लिया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–2 और आवेदन प्र0पी–1 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः फरियादी महावीर अ०सा०१ जिसके विरुद्ध अभियोजित अपराध घटित हुआ है, ने ही न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और दांतों से काटकर उपहति पहुंचाये जाने के सुझाव से इंकार किया है। अतः उक्त संपूर्ण तथ्यों से स्वयं आहत द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण दिनांक 18.11.4 को 12 बजे फरियादी महावीर अ0सा01 के घर कठवा गुर्जर की हार पर महावीर अ०सा०। की दांतों से काटकर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से 6. दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 7.

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। 8.

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०